

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या

117, 118, 119 व 120/2016/जयपुर

उनवान : मैसर्स इन्ड्रा स्वीच, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापंचन-द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------

14/01/2016	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री मौती कोटवानी व विभागीय पैरोकार श्री औझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा ये चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना-पत्र अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 194, 196, 195, 193 /आररवैट/स्थगन/ए.ए.-1/2015-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'बैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 से अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा चाहे गये स्थगन राशियों को आंशिक स्वीकार किया गया हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यक्ति होकर अपीलार्थी द्वारा प्रकरणों में अवशेष वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु अपील मय स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्न तालिका से दिया गया है :-</p> <p style="text-align: center;">—: तालिका :—</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>अपील संख्या</th> <th>अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या</th> <th>अवधि</th> <th>आदेश दिनांक</th> <th>क.लि. आदेश</th> <th>चाहा गया स्थगन</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>117/16</td> <td>194</td> <td>2010-11</td> <td>6.1.16</td> <td>08.12.15</td> <td>2842784/-</td> </tr> <tr> <td>118/16</td> <td>196</td> <td>2012-13</td> <td>6.1.16</td> <td>08.12.15</td> <td>2414719/-</td> </tr> <tr> <td>119/16</td> <td>195</td> <td>2011-12</td> <td>6.1.16</td> <td>08.12.15</td> <td>2316345/-</td> </tr> <tr> <td>120/16</td> <td>193</td> <td>2009-10</td> <td>6.1.16</td> <td>08.12.15</td> <td>1354093/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा पृथक से बैटरी एवं एडप्टर की खरीद/बिकी नहीं की जाती है। अतः बैट्री व चार्जर की अनुमानित बिकी पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर व ब्याज का आरोपण अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय पारित करते समय रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के लिये युक्तियुक्त व विधिक कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, बकाया भाँग राशियां की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना</p>	अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	अवधि	आदेश दिनांक	क.लि. आदेश	चाहा गया स्थगन	1	2	3	4	5	6	117/16	194	2010-11	6.1.16	08.12.15	2842784/-	118/16	196	2012-13	6.1.16	08.12.15	2414719/-	119/16	195	2011-12	6.1.16	08.12.15	2316345/-	120/16	193	2009-10	6.1.16	08.12.15	1354093/-
अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	अवधि	आदेश दिनांक	क.लि. आदेश	चाहा गया स्थगन																																
1	2	3	4	5	6																																
117/16	194	2010-11	6.1.16	08.12.15	2842784/-																																
118/16	196	2012-13	6.1.16	08.12.15	2414719/-																																
119/16	195	2011-12	6.1.16	08.12.15	2316345/-																																
120/16	193	2009-10	6.1.16	08.12.15	1354093/-																																

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या

117, 118, 119 व 120/2016/जयपुर

उनवान : मैसर्स इन्ड्रा स्वीच, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापंचन-द्वितीय, जयपुर


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज — 2 —	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

14/01/2016

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध बकाया विवादित मांग की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक, रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के एक माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।


—३६२—
(ईश्वरीलाल वानी)

सदस्य

—३६२—
(बी के भीणा)

अध्यक्ष